

08.05.2026 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
 वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाजे लगाई गई परन्तु इनकी ओर से असाक्षतन व वकालतन कोई दायिरी नहीं आया है, लिहाजा वादी वाद अदम दायिरी/ अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय रायश रजिस्टर में से कर होकर दायित्वदफ्तर हो।

निर्णय अरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
 (शुभम शर्मा)
 उपखण्ड आ...
 श्रीदुंगरगढ (वीकानर)

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)